



भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

Reserve Bank of India

Rural Planning & Credit Department
Regional Office, JAIPUR

लाइसेंस सं. ग्राआऋवि. (जय). सह. 30

दिनांक: अक्टूबर 22, 2012

LICENSE NO. RPCD.(JPR).Co-op 30

Dated : October 22, 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56(ओ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी सेंट्रल को ओपरेटिव बैंक लि०, टोंक (राजस्थान) को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है :


(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल जिला-टोंक (राजस्थान) तक सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन / लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(o) of the Banking Regulation Act, 1949 The Central Co-operative Bank Ltd. Tonk (Rajasthan) is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions:

(a) The area of operation of the bank shall be confined to Tonk District (Rajasthan).

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business/ date following the receipt thereof.



(एच.एन.अय्यर)

महाप्रबंधक

एच. एन. अय्यर

महाप्रबंधक

ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर

(H.N. Iyer)

General Manager

एच. एन. अय्यर

महाप्रबंधक

ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, जयपुर